राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

2004–2005

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2004 – 2005

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना (1.5.85 से संविधान की धारा 323 बी के प्रावधानों के अनुसरण में) विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित वादों का शीध्रतम निपटारा करने में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि गतिशील विक्रय कर विधान की सुसंगत व्याख्या की जा सके। इस अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित मामलों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) विक्रय कर विभाग के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में हो सकती थी। अब 1.10.1995 से इस अधिकरण का नाम परिवर्तन कर राजस्थान कर बोर्ड कर दिया गया। अब यह राजस्थान कर बोर्ड से ज्ञापित है।

बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित हैं। अध्यक्ष, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष के स्तर का अधिकारी होगा। बोर्ड के सदस्यों को राजस्व मण्डल के सदस्यों का स्तर प्रदान किया गया है। उन्हें वही मासिक वेतन एवं भत्ते देय हैं जो राजस्व मण्डल, राजस्थान के सदस्य का पद धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुज्ञात है।

कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	नाम	पद	अवधि
1.	श्री फतेह सिंह चारण	अध्यक्ष	27.01.2004 से निरन्तर
2.	श्री पी. के. भाटिया	सदस्य	05.06.2004 से निरन्तर
3.	श्री विपिन भटनागर	सदस्य	09.06.2004 से निरन्तर
4.	श्री आर. सी. जैन	सदस्य	19.06.2004 से निरन्तर
5.	श्रीमती इलोरा बागची	रजिस्ट्रार	23.09.2004 से निरन्तर
6.	श्रीमती मेघना चौधरी	सहा. रजिस्ट्रार	16.08.2003 से निरन्तर

कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत हैं।

सहायक रजिस्ट्रार का पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग का है इस पद पर दिनांक 11.7.94 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत हैं।

बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था संचालन हेतु निम्न प्रकार से पदों का सृजन किया गया है :–

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष	1	1	–
2.	सदस्य	4	3	1
3.	रजिस्ट्रार	1	1	–
4.	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	–
5.	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
6.	निजी सचिव	2	2	–
7.	निजी सहायक	2	1	1
8.	शीघ्र लिपिक	1	–	1
9.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
10.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	–
11.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	–
12.	कार्यालय सहायक	2	2	–
13.	वरिष्ठ लिपिक	6	6	–
14.	कनिष्ठ लिपिक	12	12	–
15.	वाहन चालक	4	4	–
16.	जमादार	1	1	–
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	13	–
18.	प्रोसेस सरवर	4	3	1

वर्ष 2004–2005 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन	दिसम्बर 2004 तक व्यय
1.	संवेतन	82,00,000	58,63,937
2.	यात्रा भत्ता	2,00,000	1,94,504
3.	चिकित्सा व्यय	1,80,000	92,985
4.	वाहन संधारण	2,50,000	2,44,233
5.	कार्यालय व्यय	14,00,000	10,62,822
6.	लेखन सामग्री	50,000	23,241
7.	मुद्रण	40,000	13,687
8.	पुस्तकालय	1,00,000	38,104
9.	वाहन क्रय	–	–
10	कम्प्यूटर	1,000	–

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिसमें माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों को विधि सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 6,081 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

वर्ष 2002, 2003 एवं 2004–05 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित वादों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	वाद	2002	2003	2005–05
1.	बकाया वाद	5,310	2,789	1,440
2.	दायर वाद	1,848	1,732	1,765
3.	निस्तारित वाद	4,369	3,081	1,656
4.	शेष वाद	2,789	1,440	1,549

कर बोर्ड में विचाराधीन वादों की सुनवाई एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किए जाने का प्रावधान है। जिन वादों में विवादास्पद राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवाई एकलपीठ एवं जिनवादों में यह राशि पांच लाख से अधिक है उन वादों की सुनवाई खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई बिन्दु वृहद् खण्डपीठ को रेफर किया जाता है।

वर्ष 2004–2005 तक एस.बी/डी.बी. द्वारा सुने जाने वाले विचाराधीन वादों की शेष संख्या निम्न प्रकार है : (दिसम्बर 2004 तक शेष)

(1) एस. बी. 1,395
(2) डी. बी. 154

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में योजना भवन में लगाई जाती है। जिसमें मुख्यतः अलवर, बांरा, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझंनु, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक जिले के वादों की सुनवाई की जाती है। प्रकरणों के भीघ्र निस्तारण एवं अपीलार्थीयों की सुविधा हेतु जोधपुर मे भी राज्य सरकार की अनुमति से एकलपीठ आयोजित की जा रही है।

बोर्ड में विचाराधीन वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की गई है :–

(1) जिन वादों में बैंच द्वारा राशि की वसूली के संबंध में स्थगन आदेश दिए हुए हैं। ऐसे वादों की सुनवाई प्राथमिकता पर की जाकर निस्तारण किया गया।
(2) पुराने वादों को सनुवाई हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियत किया जा रहा है।
(3) बोर्ड में विचाराधीन परिशोधन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई बैंच के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
(4) बैंचों द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए जाते हैं उन निर्णयों को रिपोर्टिंग योग्य मार्क किया जाता हैं। उनमें विवादास्पद बिन्दु एवं उस पर दिये गये निर्णयों से बोर्ड की दूसरी बैंचों को भी उनकी जानकारी कराई जाती है। ताकि निर्णयों में एकरूपता कायम रह सकें।